सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 437 राँची, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 (ई०)

परिवहन विभाग

(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

18 सितम्बर, 2025

पत्रांक-परि.वि.(स.सु.)-91/2016- 1161--झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली 2019 में संशोधन के निमित्त झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैः-

1. (i) यह नियमावली झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली 2025 कही जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम-5 का उप नियम (1) निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"(1) परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत शमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि का 30%(तीस प्रतिशत) राशि राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सड़क सुरक्षा कोष के निमित्त खोले गए बैंक खाता में जमा किया जायेगा ।"

3 प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 162 दिनांक 31/07/2025 के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 02/09/2025 में मद संख्या-06 के रूप में सम्मिलित किये जाने के आलोक में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव
परिवहन विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 437 - 50